संख्या-247/2026/07के-2/22-3-2026-17(59)/24

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक 22 जुलाई, 2026**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अनिल कुमार पुत्र श्री मुन्नू सिंह, निवासी जनपद-बिजनौर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-47796/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-19.12.2025), दिनांक 30.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अनिल कुमार (बंदी संख्या-46883) पुत्र श्री मुन्नू सिंह, जो ग्राम-भवनपुरा, थाना-कोतवाली शहर, जनपद-बिजनौर का रहने वाला है। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बंदी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी श्रीमती बबीता की आग लगाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-800/2008 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी तथा डी0पी0 एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट सं0-1), बिजनौर के आदेश दिनांक 11-09-2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा जमानत/मुचलके पर रिहाई दिनांक 05.09.2022 तक बन्दी की आयु 36 वर्ष, 02 माह तथा अपरिहार 14 वर्ष, 03 माह, 10 दिन की व सपरिहार 18 वर्ष, 07 माह, 08 दिन की सजा भोगी गयी है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर एवं अशक्तता बंदी की मानसिक प्रवृत्ति पर आधारित होने, बंदी द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा निर्धारित की गयी सजा को भोगना उचित प्रतीत होने, बंदी की समयपूर्व रिहाई से परिवार में कोई असर नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दहेज की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 23-05-2008 को बंदी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी श्रीमती बबीता की आग लगाकर हत्या करने का अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने के सम्बन्ध में कोई ठोस तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार बंदी की आयु 36 वर्ष, 02 माह होने तथा अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अनिल कुमार पुत्र श्री मुन्नू सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अनिल कुमार (बंदी संख्या-46883) पुत्र श्री मुन्नू सिंह, निवासी जनपद-बिजनौर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-07(1)के-2/22-3-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।

2- पुलिस अधीक्षक, बिजनौर।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-247/2026/07के-2/22-3-2026-17(59)/24

दिनांक 22 जुलाई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अनिल कुमार (बंदी संख्या-46883) पुत्र श्री मुन्नू सिंह, जो ग्राम-भवनपुरा, थाना-कोतवाली शहर, जनपद-बिजनौर का रहने वाला है। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बंदी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी श्रीमती बबीता की आग लगाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-800/2008 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी तथा डी0पी0 एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट सं0-1), बिजनौर के आदेश दिनांक 11-09-2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा जमानत/मुचलके पर रिहाई दिनांक 05.09.2022 तक बन्दी की आयु 36 वर्ष, 02 माह तथा अपरिहार 14 वर्ष, 03 माह, 10 दिन की व सपरिहार 18 वर्ष, 07 माह, 08 दिन की सजा भोगी गयी है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर एवं अशक्तता बंदी की मानसिक प्रवृत्ति पर आधारित होने, बंदी द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा निर्धारित की गयी सजा को भोगना उचित प्रतीत होने, बंदी की समयपूर्व रिहाई से परिवार में कोई असर नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दहेज की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 23-05-2008 को बंदी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी श्रीमती बबीता की आग लगाकर हत्या करने का अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने के सम्बन्ध में कोई ठोस तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार बंदी की आयु 36 वर्ष, 02 माह होने तथा अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अनिल कुमार पुत्र श्री मुन्नू सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दिया गया है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in